IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.833 of 2026

Sajid Khan S/o Nesar Khan, R/o Vill.- Chainpur, P.S.- Chainpur, Distt.- Kaimur (Bhabua)----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Excise P.S Case No. 575 of 2025)

11.06.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदक **साजिद खॉ** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **मद्यनिषेध व उत्पाद थाना भभुआ, काण्ड** संं0–575/2025 ***धारा 30(a), 32(i)&(iii), 41(i)&(ii) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। जमानत के विन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिवान सनाउल्लाह खॉ एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री निशीकांत निलेश को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कूल निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है, उसे मात्र इस मामले में जप्त मोटरसाईकिल का पंजिकृत स्वामी होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसने इस मुकदमा से काफी पहले हीं उक्त जप्त बाईक को बब्लू पासवान नाम के व्यक्ति की विक्री कर दिया था। आवेदक का इस मामले की घटना तथा जप्त शराब एवं बाईक से कोई संबंध नहीं है, उसके विरूद्ध प्राथमिकी धाराएं लागू नहीं होती है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके निर्दोष होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि घटना तिथि एवं समय को प्राप्त गुप्त सूचना पर कि एक होण्डा साईन मोटरसाईकिल रजि0नं0 UP65BH-2013 से अवैध शराब मुण्डेश्वरी की ओर से मोकरी के रास्ते भभुआ की ओर जाने वाला है, सूचिका अन्य आबकारी पुलिस के साथ सूचना के सत्यापन हेतु घटना स्थल पर उक्त मोटरसाईकिल का इंतजार करने लगी । थोडी देर बाद उक्त मोटरसाईकिल को आते देख रूकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल चालक गति को तेज कर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया, किन्तु मोटरसाईकिल चालक मोकरी गॉव से 100 मीटर उत्तर भभुआ जाने वाली संड़क के किनारे मोटरसाईकिल को गिरा कर नहर पार कर खेत होते भागने में सफल हो गया। तत्पश्चात् उक्त मोटरसाईकिल की विधिवत तलाशी ली गई तो मोटरसाईकिल के डिक्की से 8PM Special Blend of Scotch & Indian grain whisky 180ml का 48 पीस कुल मात्रा 8.640 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया।

केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं उपरोक्त

IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.833 of 2026

Sajid Khan S/o Nesar Khan, R/o Vill.- Chainpur, P.S.- Chainpur, Distt.- Kaimur (Bhabua)----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Excise P.S Case No. 575 of 2025)

लगातार/ 11.06.2026 जप्त मोटरसाईकिल के डिक्की से कुल 8.640 लीटर अवैध विदेशी शराब की बरामदगी तथा मौके से चालक के फरार होने में सफल रहने की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। केस डायरी की कण्डिका–21 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त इस मामले में जप्त मोटरसाईकिल का पंजिकृत स्वामी है। कण्डिका–31 एवं 42 से अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा वाहन स्वामी को नोटिश निर्गत की गई थी, किन्तु वे अनुसंधानकर्ता के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए है। कण्डिका–39 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक की मोटरसाईकिल के डिक्की से बरामद कथित विदेशी शराब का नमूना जॉच पश्चात् उसमें इथाईल अल्कोहल की मात्रा 42.8% व नशीला होना पाया गया है। कण्डिका–45 के अवलोकन से यद्यपि प्रतीत होता है कि आवेदक के विरूद्ध मद्यनिषेध थाना, भभुआ में पूर्व से कोई काण्ड दर्ज नहीं है, किन्तु यह मामला अभी अनुसंधान के अधीन है और वर्तमान मद्यनिषेध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वाहन स्वामी होने के कारण आवेदक अभियोजन कथित अपराध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। वाद के प्रस्तुत प्रक्रम पर आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। *वहीं बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध भी करती है।*

*अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **साजिद खॉ** की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।*

(लेखापित)

ह0/–

प्र0/वि0न्या0उत्पाद–II

(बिपिन बिहारी राय)